भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3776

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 16 मार्च, 2026

25 फाल्गुन, 1947 (शक)

सीतापुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

3776. **श्री राकेश राठौरः**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सीतापुर जिले में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल जैसे कि खैराबाद इमामबाड़ा, भूलभूलैया, आस्तिक बाबा मंदिर, नरोत्तम दास स्मारक और सूर्यकुंड तीर्थ जर्जर और उपेक्षित स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर कोई विशेष बजट आवंटन या योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) क्या इन स्थलों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों, स्वैच्छिक संगठनों और विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का इन स्थलों को केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण का कार्य संरक्षण की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करता है। तथापि सीतापुर जिले में खैराबाद इमामबाड़ा, भूलभूलैया, आस्तिक बाबा का मंदिर, नरोत्तम दास स्मारक और सूर्यकुंड तीर्थ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर किया गया आवंटन और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः -

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय
1.	2022-23	392.71	391.93
2.	2023-24	443.53	443.53
3.	2024-25	313.43	313.04
4.	2025-26 **(दिनांक 05.03.2026 तक)**	375.28	333.92

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के समग्र संरक्षण और विकास कार्य के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडल कार्यालयों द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के प्रति स्थानीय समुदायों की जागरूकता बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए इन स्मारकों को सुरक्षित रखने हेतु विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों/धरोहर-पदयात्राओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय क्षेत्र के साथ-साथ बाहर के कई विशेषज्ञों को भी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पारंपरिक परिवारों से स्थानीय कारीगरों, राजमिस्त्री और अन्य कुशल/अकुशल मजदूरों को कार्य पर रख कर स्थानीय रोजगार को भी प्राथमिकता देता है।

(ङ) और (च): प्राचीन स्मारकों/पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का संरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इन स्मारकों और स्थलों का मूल्यांकन, उनके पुरातात्विक, ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्व के आधार पर किया जाता है और इस प्रकिया के दौरान, जो स्मारक और स्थल इस योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। वर्तमान में, इन स्थलों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किये जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।
